

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 25/2021

उनवान

1. केली पत्नी कालुराम अहीर निवासी औज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्यारा पिता दोलाजी अहीर निवासी ओज्याडा तह0 हमीरगढ।
2. कृष्णा पत्नी नटवर शर्मा निवासी ए-446 आजाद नगर चारभुजा टाईल्स के सामने भीलवाडा।
3. नटवर लाल पिता मोहनलाल निवासी ए-446 आजाद नगर चारभुजा टाईल्स के सामने भीलवाडा।
4. भगवान पिता चुना अहीर निवासी ओज्याडा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. शंकर पिता चुना अहीर निवासी ओज्याडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 21.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 76 की कृषि भूमि की आ0न0 1831 रकबा 1.3783 है0 कुल किता 01 रकबा 1.3783 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.04.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम औज्याडा पटवार हल्का औज्याडा भू.अ.नि. हमीरगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा में उसके खाते की खाता संख्या 76 की कृषि भूमि की आ0न0 1831 रकबा 1.3783 है0 कुल किता 01 रकबा 1.3783 है0 जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/-रु0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भूगतान करें।